रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)

नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

एफ.1(10)आरजे/रेरा/पी/2018/डी 1729-39 जयपुर, दिनांक :23-8-2018

जिला कलक्टर,उदयपुर ।
सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर।
वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर।
उप आयुक्त,आवासन, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
उप निदेशक, स्थानीय निकाय , उदयपुर।

विषय : राजस्थान रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 एवं राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के बाबत् संभागीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Program) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में राजस्थान रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 दिनांक 01.05. 2017 से लागू है। उक्त एक्ट का मूल उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को रेग्युलेट करने तथा ग्राहकों एवं विकासकर्ताओं के हित व अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनकी रक्षा करना है। इस उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण राज्य में राजस्थान रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के संबंध मे आमजन, संबंधित अधिकारियों तथा विकासकर्ताओं में जागरूकता लाने के लिए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर एक दिवस का जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Program) आयोजित किये जाने का निर्णय अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकास विभाग तथा अध्यक्ष, रेरा राजस्थान द्वारा लिया गया है। उक्त प्रोग्राम विभिन्न समन्वयक (Co-ordinating) विभागों की सहायता से आयोजित किया जाना है तथा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संभागीय मुख्यालय का नाम	दिनांक	समन्वयक विभाग	कार्यक्रम का समय	कार्यक्रम में भाग लेने वालो का विवरण
1	उदयपुर	30.08. 2018	नगर विकास न्यास, उदयपुर	सुबह 10:00 से दोपहर 01:00 बजे तक	सम्बनधित संभाग के जिलाधीश अथवा प्रतिनिधि, सचिव नगर विकास न्यास, उदयपुर, जिला मुख्यालय के स्थानीय निकाय के सम्बन्धित अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल के जिला मुख्यालय के सम्बन्धित अधिकारी, नगर नियोजन विभाग से सम्बनधित अधिकारी, सब-रजिस्ट्रार, फ्लैट धारक, Resident Welfare Associations, संभाग के विकासकर्ता एवं रियल एस्टेट ऐजेन्टस्।

अतः उपरोक्त वर्णित समन्वयक विभागाधीशों से निर्देशानुसार निवेदन है कि वे उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न आवश्यक व्यवस्थाऐं करवाने का श्रम करावें :–

- सम्बन्धित Participants को उक्त जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Program) में आमंत्रित करना।
- Meeting Hall की व्यवस्था (अपेक्षित उपस्थिति – 100 से 150 व्यक्ति)
- बैठने एवं अल्पाहार की उचित व्यवस्था।
- जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Program) आयोजित किये जाने का सम्पूर्ण संभाग में स्थानीय समाचार पत्र, FM रेडियो तथा विभाग की वेबसाइट तथा स्थानीय टीवी चैनल पर उचित प्रचार एवं प्रसार।

उक्त कार्यक्रम श्रीमान् अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकास विभाग तथा अध्यक्ष, रेरा राजस्थान द्वारा स्वीकृत है।

भवदीय

(सतीश कुमार शर्मा) 23/8/19
रजिस्ट्रार,
रेरा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकास विभाग तथा अध्यक्ष, रेरा राजस्थान।
2. संभागीय आयुक्त ,उदयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल ,जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास, जयपुर।
6. अध्यक्ष CREDAI, TODAR, R ADA, RRA को प्रेषित कर लेख है कि उदयपुर संभाग के अपने प्रतिनिधि को कार्यक्रम में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करें।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार, 23/8/19
रेरा, राजस्थान